I.F.

पुर्तगाल गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
प्रत्यर्पण करार

पुर्तगाल गणराज्य और भारत गणराज्य जिन्हें इसमें इसके पश्चात " संविदाकारी राज्य" कहा गया है;

अपराधियों के पारस्पारिक प्रत्यर्पण के लिए प्रावधान करके अपराध की रोकथाम और उसके दमन में दोनों देशों के सहयोग में वृद्धि करने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए है:

अनुच्छेद - एक
प्रत्यर्पण के प्रति दायित्व

दोनों संविदाकारी राज्य, दूसरे राज्य के प्रदेश में पाए गए, अभियोजन के लिए वांछित किसी अभियुक्त अथवा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दंड अधिरोपित करने अथवा लागू करने के लिए वांछित किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को अपने कानून और इस करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हैं ।

अनुच्छेद-दो
प्रत्यर्पणीय अपराध

1. प्रत्यर्पण उन अपराधों के मामले में किया जाएगा जो कैद द्वारा अथवा स्वतंत्रता के वंचन के अन्य उपाय द्वारा दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय हैं । यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति के संबंध में किया गया है, जिसके लिए वह कैद के दंड अथवा स्वतंत्रता के वंचन के अन्य तरीके को लागू किए जाने के लिए वांछित है, तो प्रत्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब कैद अथवा स्वतंत्रता वंचन के अन्य तरीके की अवधि के पूरा होने में कम से कम छह माह शेष हों ।

2. इस अनुच्छेद के उद्देश्य से यह निर्धारित करने में क्या कोई अपराध दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के विरूद्ध अपराध है:

(क) इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून अपराध के घटक कृत्यों अथवा चूकों को अपराध की समान श्रेणी में रखते हैं अथवा उन्हें उसी शब्दावली द्वारा अभिहित करते हैं या नहीं ।

I.F.

(ख) जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस व्यक्ति के विरूद्ध कथित कृत्यों अथवा चूकों की समग्रता को ध्यान में रखा जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपराध के संघटक तत्व संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न हैं ।

3. यदि अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्त्ता राज्य के प्रदेश के बाहर किया गया हो, तो इस करार के प्रावधानों के अध्यधीन प्रत्यर्पण किया जाएगाः

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्त्ता राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ख) यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य का कानून समान परिस्थितियों में अपने प्रदेश के बाहर किए गए अपराध के दंड के लिए प्रावधान करता है ।

4. शुल्कों, कराधान, सीमा शुल्कों और मुद्रा सहित वित्तीय प्रकृति के अपराधों के लिए इस करार के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्पण किया जाएगा ।

5. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध में ऐसे कई अलग-अलग अपराध शामिल हैं,जो दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के अंतर्गत दंडनीय हैं, परंतु जिनमें से कुछ इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित शर्तो को पूरा नहीं करते हैं, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण करेगा बशर्ते कि व्यक्ति को कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जाना हो ।

अनुच्छेद - तीन
राष्ट्रिक

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को अपने राष्ट्रिक को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर देने का अधिकार होगा।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इस आधार पर इंकार करता है कि वह व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य का राष्ट्रिक है, तो यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य वैसा अनुरोध करता है और अनुरोधप्राप्तकर्त्ता के कानून वैसी अनुमति देते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य सक्षम प्राधिकरियों को मामला प्रस्तुत करेगा ताकि उस व्यक्ति के उन सभी अथवा किन्हीं अपराधों, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है के अभियोजन के लिए कार्यवाहियां चलाई जा सकें ।

अनुच्छेद - चार
प्रत्यर्पण से इंकार करने के आधार

1. प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदिः

I.F.

(क) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य समझता है कि अनुरोध को क्रियान्वित करना उसके संवैधानिक सिद्धांतों और घरेलू कानूनों के खिलाफ हैं;

(ख) यह मानने के ठोस आधार हों कि दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य में लागू अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक कानूनों के विरूद्ध भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति को अभियोजित करने अथवा उसे दंडित करने के उद्देश्य से किसी सामान्य दांडिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

(ग) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह राजनैतिक प्रकृति का है। इस करार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक अपराध नहीं समझा जाएगाः

(i) जातिसंहार, मानवता के विरूद्ध अपराध, युद्ध अपराध और 1949 के जेनेवा अभिसमय के अंतर्गत गंभीर अपराध;

(ii) वे अपराध, जिन्हें उन अंतरराष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों अथवा करारों, जिनका दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष पक्षकार है, के अंतर्गत राजनैतिक अपराध नहीं समझा जाता है ।

(iii) हत्या, आपराधिक मानव वध;

(iv) किसी खतरनाक हथियार अथवा साधन द्वारा स्वेच्छया उपहति अथवा घोर उपहति कारित करना ।

(v)जीवन को खतरे में डालने की मंशा से कोई आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारुद रखना;

(vi) गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण का प्रतिरोध करने अथवा उसे रोकने की मंशा से किसी आग्नेयास्त्र का प्रयोग ;

(vii) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से, सार्वजनिक उपयोग अथवा अन्यथा प्रयोग की जाने वाली संपत्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचाना;

(viii) अवैध अवरोध अथवा अवैध कैद;

(ix) अपहरण और अगवा करना तथा बंधक बनाना;

(x) आतंकवाद और आतंकवादी कृत्यों से संबंधित अपराध;

I.F.

(xi) उपर्युक्त किन्हीं अपराधों के करने में सह अपराधी के रूप में भागीदारी करते हुए दुष्प्रेरित करना, करने का षडयंत्र करना या प्रयत्न करना, भड़काना ।

(घ) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, सैन्य कानून के अंतर्गत अपराध है, जो संविदाकारी राज्यों के सामान्य दांडिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है।

(ङ) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके संबंध में अंतिम निर्णय अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में अथवा किसी तीसरे राज्य में दिया जाएगा; और

(i) निर्णय में व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया ;

(ii) कैद की अवधि जो व्यक्ति को सुनाई गई, पूरी तरह लागू की गई, अथवा पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से लागू नहीं की गई, क्षमा अथवा दया प्रदान की गई; अथवा

(iii) न्यायालय ने दंड लगाए बिना व्यक्ति को छोड़ दिया;

(च) व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, को उस अपराध के संबंध में दया प्रदान की गई है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अथवा दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार समय समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से अभियोजन अथवा दंड से उन्मुक्त हो गया है ।

(छ) मांगे गए प्रत्यर्पण पर किसी अनन्य अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अथवा उस व्यक्ति के मामले पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से स्थापित न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा दी गई सजा को लागू करना हो । इस करार के प्रयोजनों के लिए "विशेष अधिकारिता न्यायालय" को ऐसे विशेष न्यायालय के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा, जिसे दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानून द्वारा स्थापित नियमित प्रक्रिया द्वारा गठित किया गया है ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को प्रत्यर्पण से इंकार करने का अधिकार होगा यदिः

(क) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों ने उस व्यक्ति, जिसका प्रत्यर्पण करने का अनुरोध किया गया है, पर उस अपराध के लिए मुकदमा न चलाने का निर्णय लिया हो, जिस अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है;

(ख) अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अंतर्गत उस राज्य के भीतर पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया माना गया है। तथापि, इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण किया जाएगा, बावजूद इसके कि वांछित व्यक्ति का आचरण पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में घटित हुआ है, यदि उस राज्य के

I.F.

कानून के अंतर्गत, उसका आचरण और इसके प्रभाव, अथवा इसके आशायित प्रभाव, समग्र रूप में, अनुरोधकर्त्ता राज्य के प्रदेश में किया गया प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा;

(ग) अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में उस व्यक्ति के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है ।

(घ) अपराध, जिसके लिए प्रत्यपर्ण का अनुरोध किया गया है के लिए वांछित व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध किया गया हो, जब तक कि अनुरोधकर्त्ता राज्य ऐसा आश्वासन न दे, जिसे अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा इस बात के लिए पर्याप्त समझा जाए, कि वांछित व्यक्ति को समर्पण के बाद दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने अथवा पुनः विचारण के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा;

(ङ) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता, अपराध के स्वरूप और अनुरोधकर्त्ता राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करता है कि मामले की परिस्थितियों में आयु, स्वास्थ्य अथवा वैयक्तिक स्वरूप के अन्य कारणों, जिनका मामला दर मामला आधार पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा विश्लेषण किया जाना है, की दृष्टि से मानवीयता के आधार पर उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करना उचित नहीं होगा । यदि फिर भी प्रत्यर्पण इस शर्त के अंतर्गत अस्वीकार किया जाता है तो अभियुक्त पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में उसके घरेलू कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा ।

अनुच्छेद - पांच
विशेषता का नियम

1. इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अध्यधीन, इस करार के अंतर्गत प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध लिए अनुरोधकर्त्ता राज्य में बंदी बना कर नहीं रखा जाएगा अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि :

(क) ऐसा अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो, अथवा

(ख) कोई अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अपनी सहमति प्रदान करे ।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य की सहमति के अनुरोध के साथ अनुच्छेद आठ के पैरा चार में उल्लिखित दस्तावेज होंगे ।

I.F.

3. इस अनुच्छेद का पैरा एक लागू नहीं होगा, यदि किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्त्ता राज्य छोड़ने का अवसर मिलता है और वह उस अपराध के संबंध में अंतिम रूप से रिहा किए जाने के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया गया हो अथवा यदि वह व्यक्ति अनुरोधकर्त्ता राज्य को छोड़ने के पश्चात उसमें लौट आता है ।

4. यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य में लगाए गए आरोपों का विवरण कार्यवाहियों के दौरान परिवर्तित होता है तो नए विवरण के अंतर्गत आने वाले अपराध के संदर्भ में प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरूद्ध तभी कार्यवाही की जाएगी अथवा उसे दण्ड दिया जाएगा यदि वह ऐसा अपराध हो जिसके लिए इस करार के अनुसरण में प्रत्यर्पण प्रदान किया जा सकता हो ।

अनुच्छेद - छह

1. यदि किसी व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा अनुरोधकर्त्ता राज्य को सौंप दिया गया हो तो अनुरोधकर्त्ता राज्य उस व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को ऐसे अपराध के लिए नहीं सौंपेगा जो उस व्यक्ति को सौंपे जाने से पूर्व किया गया हो, जब तक कि :

(क) अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उस पुनःप्रत्यर्पण के लिए सहमति प्रदान न करे, अथवा

(ख) उस व्यक्ति को अनुरोधकर्त्ता राज्य को छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो और उसने उस अपराध के संबंध में अंतिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा सौंपा गया हो अथवा वह अनुरोधकर्त्ता राज्य को छोड़ने के पश्चात उसमें लौट आया हो ।

2. इस अनुच्छेद के उप-पैरा 1(क) के अनुसरण में किसी सहमति के संबंध में अनुरोधकर्त्ता राज्य, अनुच्छेद आठ में उल्लिखित दस्तावेजों तथा पुनः प्रत्यर्पण के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी घोषणा को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है ।

अनुच्छेद - सात
समवर्ती अनुरोध

यदि किसी संविदाकारी राज्य और एक अथवा एक से अधिक अन्य राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध समवर्ती रूप से किया जाता है, चाहे वह उसी अथवा भिन्न कृत्य अथवा चूकों के लिए हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य परिस्थितियों और विशेषकर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य पर बाध्यकारी अन्य संधियों अथवा करारों की मौजूदगी, अपराधों की तुलनात्मक गंभीरता, और उन्हें कहाँ अंजाम दिया गया, अनुरोधों को किए जाने की तारीखों, व्यक्ति की राष्ट्रीयता और परवर्ती पुनः प्रत्यर्पण की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण उनमें से किस राज्य को किया जाएगा ।

I.F.

अनुच्छेद - आठ
प्रत्यर्पण प्रक्रिया

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित में किया जाएगा और उसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा ।

2. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत सभी दस्तावेज अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

3. इस करार के प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेज अधिप्रमाणित किया जाएगा यदि :

(क) उस पर अनुरोधकर्त्ता राज्य में अथवा अनुरोधकर्त्ता राज्य के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित हो; और

(ख) उस पर अनुरोधकर्त्ता राज्य के संबंधित मंत्रालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मुहर लगी होना तात्पर्यित हो ।

4. प्रत्यर्पण अनुरोध निम्नलिखित के साथ किया जाएगा :

(क) यदि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो - उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट की मूल और दो प्रमाणित प्रतियां, प्रत्येक अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, और प्रत्येक अपराध के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों अथवा चूकों का विवरण और ऐसे दस्तावेज और सूचना जिनसे अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाने को उचित ठहराया जा सके यदि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्त्ता के प्रदेश में किया गया हो;

(ख) यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध किया गया हो तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को प्राधिकृत करने वाले न्यायिक अथवा अन्य दस्तावेज अथवा उनकी प्रति, उस प्रत्येक अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, प्रत्येक अपराध के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों अथवा चूकों का विवरण और उस संगत कानून का विवरण जो निर्णय के विरूद्ध अपील करने अथवा पुनः विचारण के अनुरोध के अधिकार को सुनिश्चित करता हो;

(ग) यदि उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जो उसकी अनुपस्थिति में लगाए गए अभियोग से भिन्न हो - दोषसिद्धि और दिए गए दण्ड का साक्ष्य बनाने वाले दस्तावेज, यह तथ्य कि दण्ड तत्काल प्रवर्त्तनीय है और यह उल्लेख कि दण्ड किस सीमा तक निष्पादित नहीं किया गया है;

I.f.

(घ) यदि उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जो उसकी अनुपस्थिति में लगाए गए अभियोग से भिन्न हो किन्तु कोई दण्ड नहीं दिया गया हो - दोषसिद्धि का साक्ष्य बनने वाले दस्तावेज और इस बात की पुष्टि करने वाला वक्तव्य कि इसका आशय दण्ड अधिरोपित करना है;

(ड.) सभी मामलों में - कार्यवाहियों की सीमा से संबंधित किसी प्रावधान सहित अपराध का उल्लेख करने वाले संगत कानून का विवरण और उस दण्ड का विवरण जिसे उस अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता हो;

(च) सभी मामलों में - अपेक्षित व्यक्ति का जहां तक संभव हो, सटीक विवरण, साथ ही उसकी पहचान और राष्ट्रीयता निर्धारित करने में सहायक कोई अन्य सूचना, और

(छ) यदि लागू हों - उन कारणों को इंगित करने वाला विवरण जो उस अपराध के संबंध में समयावधि बीत जाने के कारण अभियोजन अथवा दण्ड से उन्मुक्ति प्राप्त करने से उस व्यक्ति को रोकते हों; जिनके आधार पर अनुरोधकर्त्ता राज्य के कानून के अनुसार प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो;

(ज) तीसरे राज्य में किए अपराध के मामले में एक वक्तव्य जिसमें यह दर्शाया गया हो कि तीसरा राज्य उस अपराध के लिए वांछित पर अपना दावा नहीं रखता है;

(झ) अनुपस्थिति में दोषसिद्धि के मामलों में यह सूचना कि वांछित व्यक्ति दोषसिद्धि के विरूद्ध अथवा पुनः विचारण के लिए अपील कर सकता है;

(ञ) यह आश्वासन कि वांछित व्यक्ति को इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 द्वारा प्रदत्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

अनुच्छेद -नौ
अनुपूरक सूचना

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य यह मानता हो कि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत सूचना पर्याप्त नहीं है तो इस करार के अनुसार राज्य स्वंय विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अतिरिक्त सूचना का अनुरोध कर सकता है ।

2. यदि प्रत्यर्पण के संबंध में गिरफ्तार कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में अनुरोधकर्त्ता राज्य के असमर्थ होने के फलस्वरूप अभिरक्षा से मुक्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अनुरोधकर्त्ता राज्य को यथा शीघ्र इसकी सूचना प्रदान करेगा ।

I.F.

अनुच्छेद - दस
अनंतिम गिरफ्तारी

1. अत्यावश्यकता के मामले में संविदाकारी राज्य, अंतरराष्ट्रीय दाण्डिक पुलिस संगठन (इण्टरपोल) की सुविधाओं के माध्यम से अथवा अन्यथा रूप में वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के प्रस्तुतिकरण को लंबित रखते हुए आवेदन कर सकता है ।

2. इस आवेदन को डाक अथवा टेलीग्राफ अथवा लिखित रूप में दर्ज किए जा सकने वाले किसी भी माध्यम से भेजा जा सकता है ।

3. अनन्तिम गिरफ्तारी हेतु अनुरोधों में बंदी बनाने के आदेश अथवा वांछित व्यक्ति के विरूद्ध दण्डादेश की मौजूदगी इंगित की जाएगी, उन तथ्यों को संक्षेप में दर्शाया जाएगा जिनसे अपराध प्रकट होता हो, अपराध कब और कहाँ हुआ इसका तथा लागू होने वाले विधिक उपबंधों का उल्लेख होगा तथा उस व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता और पता-ठिकाने से संबंधित उपलब्ध सूचना दी जाएगी ।

4. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और अनुरोधकर्त्ता राज्य को उसके आवेदन के परिणामों से तत्काल अधिसूचित किया जाएगा ।

5. अनन्तिम गिरफ्तारी समाप्त कर दी जाएगी यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध गिरफ्तारी के 18 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है; उस अवधि को यद्यपि गिरफ्तारी के 40 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत कारणों से उसे उचित ठहराया गया हो ।

6. उपर्युक्त पैरा 5 के उपबंध पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे यदि कोई अनुरोध बाद में प्राप्त होता है ।

अनुच्छेद - ग्यारह
अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य, प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध पर जैसे ही निर्णय लेगा, उस निर्णय को अनुरोधकर्त्ता राज्य को सूचित करेगा । किसी अनुरोध को, पूर्णतः अथवा आंशिक न मानने के कारण देने होंगे ।

2. जब प्रत्यर्पण स्वीकृत हो जाता है, उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य से उस राज्य में संविदाकारी राज्यों के लिए सुविधाजनक प्रस्थान स्थल से हटा दिया जाएगा ।

I.F.

3. अनुरोधकर्त्ता राज्य, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य द्वारा निर्दिष्ट ऐसी उचित अवधि के भीतर उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य से हटा लेगा और यदि उस व्यक्ति को इस अवधि के भीतर हटाया नहीं जाता है तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा और अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है ।

4. यदि संविदाकारी राज्य को उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पित करना अथवा वहां से हटाना सम्भव न हो तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा । दोनों संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण की एक नई तारीख परस्पर सहमति से निश्चित करेंगे, और इस पर अनुच्छेद के पैरा तीन के प्रावधान लागू होंगे ।

अनुच्छेद - बारह
आस्थगन और अस्थायी अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य किसी व्यक्ति के अभ्यर्पण को आस्थगित कर सकता है ताकि उस व्यक्ति के विरूद्ध किसी कृत्य अथवा चूक से इतर किए गए ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सके, अथवा वह व्यक्ति सजा काट सके, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है । ऐसे मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अनुरोधकर्त्ता राज्य को तदनुरूप परामर्श देगा ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य अपने कानून द्वारा अनुमत्य सीमा तक संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर करार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुरोधकर्त्ता राज्य को वांछित व्यक्ति अस्थायी रूप से अभ्यर्पित करेगा ।

अनुच्छेद - तेरह
सम्पत्ति का समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा तक और तीसरे पक्षकार के अधिकारों के अध्यधीन जिसे विधिवत स्वीकार किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में पाई गई सभी संपत्तियों, जो अपराध के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हों अथवा वह साक्ष्य के रूप में अपेक्षित हो, प्रत्यर्पण प्रदान किए जाने पर उस स्थिति में अभ्यर्पित कर दी जाएंगी, यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य ऐसा अनुरोध करे ।

2. यदि अनुरोधकर्त्ता राज्य ऐसा अनुरोध करता है तो उक्त सम्पति अनुरोधकर्त्ता राज्य को अभ्यर्पित की जा सकती है चाहे सहमत प्रत्यर्पण को कार्यान्वित न किया जा सकता हो ।

3. यदि उक्त सम्पत्ति अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य में जब्त अथवा अभिग्रहण करने योग्य हो तो अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य, लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों के चलने तक इसे अस्थायी तौर पर रख सकता है अथवा इस शर्त पर सौंप सकता है कि इसे लौटाना होगा ।

I.F.

4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के कानून अथवा तीसरे पक्षकार के अधिकार के संरक्षण से ऐसा अपेक्षित हो तो इस प्रकार से अभ्यर्पित कोई सम्पत्ति, कार्यवाहियों के पूरा होने पर बिना किसी शुल्क के अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य को उस स्थिति में लौटाई जाएगी, यदि वह ऐसा अनुरोध करे ।

अनुच्छेद - चौदह
पारगमन

1. यदि किसी व्यक्ति को अन्य संविदाकारी राज्य के प्रदेश से होकर तीसरे राज्य से संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित किया जाना है, तो वह संविदाकारी राज्य, जहां पर व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, दूसरे संविदाकारी राज्य से उस व्यक्ति को अपने प्रदेश से पारगमन करने की अनुमति देने का अनुरोध करेगा ।

2. ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी राज्य, अनुरोध प्रदान करेगा जबतक कि वह इससे संतुष्ट न हो जाए कि इससे इन्कार करने के उचित आधार हैं, बशर्ते कि किसी भी दशा में किसी व्यक्ति के पारगमन को ऐसे किसी आधार पर इन्कार किया जा सकता है, जिस पर इस करार के अन्तर्गत उस व्यक्ति को प्रत्यर्पण के लिए मना किया जा सकता है ।

3. किसी व्यक्ति के पारगमन की अनुमति में, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता संविदाकारी राज्य के कानून के अध्यधीन, पारगमन के दौरान व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए अनुमति भी शामिल होगी ।

4. यदि किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसरण में अभिरक्षा में रखा जा रहा हो तो संविदाकारी राज्य, जिसके प्रदेश में उस व्यक्ति को रखा जा रहा है, यह निदेश दे सकता है कि यदि उस व्यक्ति का परिवहन उचित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए ।

5. संविदाकारी राज्य, जिसे वह व्यक्ति प्रत्यर्पित किया जा रहा है, दूसरे संविदाकारी राज्य को पारगमन के सिलसिले में हुए किसी व्यय की अदायगी करेगा ।

अनुच्छेद - पन्द्रह
व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य, प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध से उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और इस संबंध में हुए व्यय का वहन करेगा ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य, उस व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है के अपने प्रदेश में गिरफ्तारी और नजरबन्द किए जाने पर किए गए व्यय का वहन करेगा, जबतक कि अनुरोधकर्त्ता राज्य द्वारा नामित व्यक्ति को वह व्यक्ति अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता ।

I.F.

3. अनुरोधकर्त्ताराज्य, अनुरोधप्राप्तकर्त्ता राज्य के प्रदेश से उस व्यक्ति के ले जाने पर किए गए व्यय का वहन करेगा ।

अनुच्छेद - सोलह
भाषा

कोई संविदाकारी राज्य, जो इस करार के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य को दस्तावेज ऐसी भाषा में भेजता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की भाषा नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य की भाषा में दस्तावेज का अनुवाद उपलब्ध कराएगा ।

अनुच्छेद - सत्रह
अन्तरराष्ट्रीय दायित्व

वर्तमान करार, संविदाकारी राज्यों पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों, जिनके वे पक्षकार हैं, उनके अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा ।

अनुच्छेद - अठारह
प्रवृत्त होना और समाप्त होना

1. यह करार, इसके प्रवृत्त होने के लिए अपनी-अपनी आन्तरिक विधि अथवा संवैधानिक अपेक्षाओं के पूरा कर लिए जाने की सूचना देते हुए संविदाकारी राज्यों के बीच राजनयिक माध्यमों से अन्तिम सूचना की तारीख के तीस दिनों के भीतर लागू होगा ।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य, दूसरे राज्य को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय लिखित में इसके समाप्त करने की सूचना दे सकता है, और यदि ऐसी सूचना दी जाती हैं तो यह करार उस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात छह माह में निष्प्रभावी हो जाएगा ।

3. इस करार के प्रावधान, इसके प्रवृत्त होने के पश्चात प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए लागू होंगे, चाहे यह तथ्य किसी भी तारीख को सामने आए हों ।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं ने इस करार को सम्पन्न किया ।

आज नई दिल्ली में वर्ष 2007 (वर्ष दो हजार सात के) के जनवरी माह के ग्यारहवें दिन, पुर्तगाली, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, तथापि भिन्नता की दशा में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

पुर्तगाल गणराज्य की
ओर से

भारत गणराज्य की
ओर से

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Arquivo Histórico - Diplomático
Fotocópia conforme o original.
Lisboa, 5 de Dezembro de 2007
Pel' O Director
Maria Isabel Fevereiro